संख्या-10/2016/160/78-2-2016-53आई.टी./2008

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्टानिक्स अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2016**

विषयः प्रदेश में एस0एस0डी0जी0/ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं के अन्तर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4251/सीईओ-4-30/4-2015 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके क्रम में दिनांक 12 जनवरी, 2016 को निर्वाचन विभाग में आहूत बैठक जिसमें विभागीय सेवाओं का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया।

2. उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डी.एस.पी.) का चयन किया गया है जिनके द्वारा प्रदेश में जन सेवा केन्द्रों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। उक्त केन्द्रों द्वारा वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का उपयोग करते हुए राज्य सरकार के 08 विभागों की 26 शासकीय सेवायें आम जनमानस को प्रदान की जा रही है। उपरोक्त पोर्टल में 90 अन्य शासकीय सेवाओं को बढ़ाये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-1560/78-2-2015-53आईटी/ 2008 दिनांक 23 सितम्बर, 2015 द्वारा निर्देशित किया गया है।

3. उक्त के क्रम में निर्वाचन विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रदान किये जाने हेतु आपके विभाग द्वारा निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना होगाः-

(1) विभागीय सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से प्रदान किये जाने हेतु निर्वाचन विभाग आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग से जो अनुबन्ध/एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित करना चाहता है कृपया उसका आलेख उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उसका विधिक एवं अन्य परीक्षण कराया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) विभागीय सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म (संलग्नक-1) को पूर्णता भरते हुए सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 (सी.ई.जी.) को उपलब्ध कराया जाये।

(3) सी.ई.जी. द्वारा फॉर्म प्राप्त होने के उपरान्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी जिसके साथ-साथ टैक्नीकल गाइडलाईन्स (संलग्नक-2) का उपयोग करते हुए निर्वाचन विभाग के साफ्टवेयर डेवलपर संस्था द्वारा ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही विभागीय सेवाओं के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

(4) सेवाओं के इन्टीग्रेशन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों द्वारा निर्वाचन विभाग की सेवायें प्रदान किये जाने हेतु सेवा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश (संलग्नक-3) को निर्गत किया जाना होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव

संख्याः 10/2016/160(1)/78-2-2016 तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, विशेष सचिव (भू.), आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ।
3. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।